

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,

सीतामढ़ी।

पटना दिनांक.....

विषय:- सीतामढ़ी जिला के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित वार्दों के संचालनार्थ विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि सीतामढ़ी जिला के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित वार्दों के संचालनार्थ राज्य सरकार ने श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, सीतामढ़ी निबंधन संख्या-1677/70 को पत्र निर्गत की तिथि से तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इसके लिए उन्हें लोक अभियोजक के अनुमान्य दैनिक शुल्क देय होगा।
3. इन्हें कोई प्रतिधारण शुल्क देय नहीं होगा।
4. इस नियुक्ति के बाद पूर्व नियुक्त विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
5. इनका यह दायित्व होगा कि वे लम्बित तथा निष्पादित विषयांकित वार्दों से संबंधित प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को समर्पित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/ मनोज कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-...../जे0, पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी/लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी/श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी/श्री चन्देश्वर प्रसाद, अधिवक्ता एवं पूर्व विशेष लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह0/ मनोज कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-193...../जे0, पटना, दिनांक-9-1-15

प्रतिलिपि: माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव एवं आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।